

# गैस की सप्लाई हुई प्रभावित

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया

नई दिल्ली, 10 मार्च. भारत के कई राज्यों में इन दिनों कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1955 लागू कर दिया है।



कई शहरों में गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश- होटल मालिकों का कहना है कि शादी के सीजन के बीच गैस की कमी से कारोबार प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर अधिक कीमत देने के बाद भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा।

महाराष्ट्र- मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में भारी कमी की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं।

राजस्थान और छत्तीसगढ़- यहां होटल और छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों का कहना है कि गैस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश- यहां होटल और ढाबा संचालकों को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।

# सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाया एरम्मा

को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियम) आदेश, 2026 के अनुसार, घरेलू पीएनजी (पाइप नेचुरल गैस) की आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन, और पाइपलाइन कॉम्प्रेसर प्यूल्स तथा अन्य अनिवार्य पाइपलाइन परिचालन ज़रूरतों को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं

को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियम) आदेश, 2026 के अनुसार, घरेलू पीएनजी (पाइप नेचुरल गैस) की आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन, और पाइपलाइन कॉम्प्रेसर प्यूल्स तथा अन्य अनिवार्य पाइपलाइन परिचालन ज़रूरतों को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं

को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जायेगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

# शेयर बाजारों में लौटी खुशी की लहर

809 अंक पर चढ़ा संसेक्स

252 अंक की बढ़त पर रहा निफ्टी



अंक की बढ़त में 24,280.80 पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह

98.70 अंक यानी 0.41 प्रतिशत ऊपर 24,126.75 अंक पर था।

मुंबई, 10 मार्च. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 809.57 अंक चढ़कर 78,375.73 अंक पर खुला। हालांकि बाद में इसको तेजी कुछ कम हुई और खबर लेकर बाजारों में तेजी देखी गयी। 0.42 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,893.94 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 252.75

आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे रंग में रहे। ऑटो, वित्त, फार्मा, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांकों में ज्यादा तेजी दर्ज की गयी। संसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर ऊपर चल रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस में फिलहाल गिरावट है।

## ऑडी ने शुरु की नये एसयूवी एसव्यू8 की बुकिंग

मुंबई, 10 मार्च. जर्मन लक्जरी कार निर्माता ऑडी ने मंगलवार को भारत में अपने नये एसयूवी ऑडी एसव्यू8 के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने एक विज्ञापन में बताया कि ग्राहक 5,000 रुपये की शुरुआती राशि देकर ऑडी ईडिया की वेबसाइट पर या %मायऑडी कनेक्ट% ऐप से बुकिंग कर सकते हैं। इसमें चार लीटर का वी8 टीएफएसआई इंजन है।

## सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद

नई दिल्ली, 10 मार्च. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोमवार रात घोषणा की थी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब 21 दिन की बजाय 25 दिन के अंतराल पर करायी जा सकेगी। तेल विपणन कंपनियों ने होटल, रेस्त्रां तथा अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की अपनी जरूरत सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष रखने के लिए ई-मेल आईडी जारी कर

## रुपया 39 पैसे टूटा, 92.21 प्रति डॉलर के नये निचले स्तर पर

मुंबई, 10 मार्च. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से ज्यादा उछाल के कारण रुपये पर सोमवार को भारी दबाव रहा और यह 39 पैसे टूटकर 92.21 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 17.50 पैसे फिसलकर 91.82 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रुपये पर शुरू से ही दबाव रहा। यह 40.50 पैसे की गिरावट में 92.2250 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। एक समय यह 92.35 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था। बाद में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से डॉलर बेचने से यह 92.15 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ।

## भारत का खाद्य निर्यात 5 लाख करोड़ के पार : गोयल

नई दिल्ली 10 मार्च. केंद्रीय मंत्री ने उद्योग और किसानों से प्रोसेस्ड फूड व वैल्यू एडिशन बढ़ाने का आह्वान किया, एफटीए से 38 देशों के बाजारों तक पहुंच का फायदा उठाने पर जोर। भारत का कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और अब यह सालाना करीब 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन गया है। उन्होंने खाद्य, कृषि और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपील की कि वे मिलकर भारत को कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात में दुनिया का नंबर एक देश बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करें।



गोयल ने कहा कि यह उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप हैं, जिसमें भारत को 'दुनिया की फूड बास्केट' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, जिनसे 38 विकसित देशों के बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच बनी है। इससे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिले हैं और देश वैश्विक वैल्यू चेन से तेजी से जुड़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन व्यापार समझौतों के दौरान सरकार ने घरेलू हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी उत्पादों को कोई रियायत नहीं दी गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत के प्रोसेस्ड फूड, फल, दाल, सब्जियों और अनाज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना और भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाना है। गोयल ने बताया कि 2014 से 2025 के बीच भारत के कृषि और खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में प्रोसेस्ड फूड का निर्यात चार गुना, फल और दालों का निर्यात तीन गुना, प्रोसेस्ड सब्जियों का निर्यात चार गुना और कोको का निर्यात तीन गुना बढ़ा है। वहीं अनाज का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और चावल के निर्यात में भी करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

## सोना 1230 रुपए महंगा, चांदी में 4 प्रतिशत उछाल

नई दिल्ली, 10 मार्च. अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ी दिलचस्पी, एमसीएक्स पर सोना-चांदी की कीमतों में तेज उछाल। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशकों का रुझान फिर से बुलियन की ओर बढ़ गया है। इसी का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया, जहां चांदी की



कीमतों में एक ही दिन में 9,250 रुपये की बड़ी छलांग दर्ज की गई और इसका भाव बढ़कर करीब 2.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं सोने की कीमतों में एक ही दिन में 9,250 रुपये की बड़ी छलांग दर्ज की गई और इसका भाव बढ़कर करीब 2.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं सोने की

कीमत भी 1,230 रुपये की तेजी के साथ 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी बुलियन में मजबूत खरीदारी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के समय निवेशक आम तौर पर सोना-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं।

## मोबाइल पर दिखेगा राशन कार्ड का पूरा हिसाब

नई दिल्ली, 10 मार्च. उमंग ऐप के 'मेरा राशन' फीचर से कार्डधारक अब घर बैठे राशन की पात्रता, पुरानी ट्रांज़ेक्शन हिस्ट्री और नजदीकी सरकारी राशन दुकान की लोकेशन आसानी से देख सकेंगे। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब राशन कार्डधारकों को अपने कोटे का हिसाब जानने के लिए सरकारी दफ्तरों या राशन

की दुकान के चक्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल पर एक ऐप के जरिए यह सारी जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाएगी। सरकार के मल्टी-सर्विस प्लेटफॉर्म उमंग में अब 'मेरा राशन' फीचर जोड़ा गया है। इस सुविधा के जरिए यूजर्स सिर्फ अपना राशन कार्ड नंबर डालकर यह जान सकते हैं कि सरकारी योजना के तहत उन्हें कितना गेहूं, चावल, चीनी या अन्य अनाज मिलने का अधिकार है।

## लंबित मामलों में बैंकों की प्रगति की समीक्षा

नई दिल्ली, 10 मार्च. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजु ने एक समीक्षा बैठक में दिवाला कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिले और समाधान के लिए लंबित मामलों में प्रगति की समीक्षा की और बैंकों से दिवाला प्रक्रिया में फंसी सम्पत्ति के अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। बैंकों के वसूल नहीं होने वाले कर्जों के मामलों को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत



सुनवाई एनसीएलटी करता है और उसके निर्णयों पर अपील के लिए एक अपीलवी प्रार्थनापत्र को एक वित्तीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिले और समाधान के लिए लंबित मामलों में प्रगति की समीक्षा की और बैंकों से दिवाला प्रक्रिया में फंसी सम्पत्ति के अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। बैंकों के वसूल नहीं होने वाले कर्जों के मामलों को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत

सो हितधारकों के समन्वित प्रयास से 20 उच्च बकाये वाले ऋण खतों का समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रवेश के लिए लंबित शीर्ष 20 खतों और समाधान के लिए लंबित 10 खतों की विस्तृत समीक्षा की गई गयी। बैठक में बैंकों को सलाह दी गई कि वे संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने, वसूली में सुधार करने और समयबद्ध उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों के समाधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ।

## समाचार विशेष

### नीतीश के जाते ही बदल जाएगा सबकुछ

पटना. ये करीब-करीब तय हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। फॉर्मूला उलटा हुआ नजर आएगा जब जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे। वहीं बिहार विधानमंडल में चिराग पासवान की ताकत बढ़ेगी और उनके एक मंत्री और बनेंगे। यही नहीं चिराग को एक एमएलसी वाली सीट और मिलेगी। कुल मिलाकर मुश्किल विरोधी राजद के लिए होगी, उन्हें अब अपनी पूरी रणनीति पर सिरे से बनानी होगी। इसकी कई वजहें हैं।

राजद नेताओं ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद उनके तेवर बदलेंगे और रणनीति भी। हाल के सालों में राजद और खास कर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया। वजह साफ थी कि नीतीश कुमार के रहते उसे तीसरी बार उनके साथ सत्ता में आने की उम्मीद लगी हुई थी। पिछले दो बार

### उद्धव ठाकरे फिर बनेंगे एमएलसी?

महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़, संजय राउत ने ठोकी मजबूत दावेदारी ने कहा कि उद्धव ठाकरे विधानमंडल में विपक्ष की एक मजबूत आवाज हैं और उनका दोबारा निर्वाचित होना जरूरी है। सभी विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं की भी यही इच्छा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी आगामी चुनावों में राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार न भेज पाने से पहले ही नाराज है। इस बीच, आदित्य ठाकरे ने भी परोक्ष रूप से राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिल पाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विधायकों की संख्या के हिसाब से हमारी पार्टी सबसे बड़ी थी, लेकिन सीट सबसे कम विधायकों वाली पार्टी राकापा को दे दी गई।

### राज्यसभा उम्मीदवारी न मिलने से पहले ही नाराज